



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 54088-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 5599/2026

राहुल और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : राजेश यादव, रुचि मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

"(i) दिनांक 12.02.2026 को मामला अपराध संख्या 0041/2026, धारा 303 (2) के तहत दर्ज एफआईआर (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि दिनांक 12.02.2026 को मामला अपराध संख्या 0041/2026 में धारा 303 (2) बीएनएस के तहत पुलिस स्टेशन, चंदौसी, जिला संभल में दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया जाता है।

संक्षेप में, एफआईआर में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने ही मामलों से संबंधित अदालती रिकॉर्ड चुरा लिए हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजेश यादव का कहना है कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है और अपराध से उसे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है।

इसके विपरीत, राज्य के अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर कहा कि एफआईआर और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान दोषी ठहराने वाली सामग्री एकत्र की गई है। जांच जारी है। इस स्तर पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से जांच में बाधा उत्पन्न होगी। एफआईआर को चुनौती और अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 पूर.(1) एससीसी 335) और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) 19 एससीसी 401)** में दिए गए कानून के आलोक में की जानी है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया। जांच के दौरान दोषी ठहराने वाले साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। जांच जारी है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, कानून का पालन करने और न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इस स्तर पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से न केवल जांच में बाधा आएगी, बल्कि साक्ष्यों के खो जाने या गायब हो जाने का खतरा भी रहेगा। इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, ऐसा करना **भजन लाल (उपरोक्त) और नीहारिका (उपरोक्त)** मामलों में दिए गए कानूनी निर्णयों के विरुद्ध होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द करने के आधारों को बताते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने भजन लाल (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"102. संहिता के अध्याय 14 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के संदर्भ में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हमने उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और उन असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके मूल रूप में लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित न हो या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला न बनता हो।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो सिवाय संहिता की धारा 155(2) के दायरे में आने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराता हो।

(3) जहाँ एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहाँ एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहाँ संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई हो और/या जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या जहाँ कार्यवाही आरोपी से प्रतिशोध लेने और निजी द्वेष के कारण उसे परेशान करने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण ढंग से शुरू की गई हो।

103. हम यह चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयम से और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए; न्यायालय एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता या अन्यथा की जाँच करने में उचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं देती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने **नीहारिका (उपरोक्त)** के मामले में कानून को इस प्रकार स्पष्ट किया:

"33.16. उपर्युक्त मापदंड लागू होंगे और/या उपर्युक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्तीकरण याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि, निरस्तीकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, लापरवाही से और/या यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।" सामान्यतः, जब जांच चल रही हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से बचना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक तथा/या धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल होने तक, धारा 482 सीआरपीसी तथा/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका खारिज करते समय, गिरफ्तारी न करने और/या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का आदेश पारित करना उचित नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भजन लाल (उपरोक्त) और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इस मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं और याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से हमें रोकते हैं।

इसी कारणवश एफआईआर को रद्द करने की राहत भी अस्वीकार की जानी चाहिए।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

17 मार्च, 2026

सी. मणि

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।